न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविंद सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 125/2014 दावा

दानाराम पुत्र केशाराम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादी

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. बिदामी देवी पत्नी श्योजीराम।
3. मोहन लाल
4. रामेश्वरलाल
5. बन्ना राम
6. बाबू लाल
7. पृथ्वी उर्फ जगदीश
8. नारायण

   पुत्रगण श्योजीराम।

   समस्त उम्र—वयश्क जाति दरोगा निवासीगण ग्राम करड़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
9. पटवारी, पटवार हल्का करड़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर ।
10. उप—पजियक, दातारामगढ़ जिला सीकर।
11. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति—

1. श्री सत्यवीर राड़ वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय **दिनांक — 27.08.2024**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी की स्वयं की कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.08 हैक्टर किता दो कुल रकबा 0.13 हैक्टर वाके ग्राम करड़ पटवार हल्का करड़ तहसील

दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिस पर कब्जा, काश्त वादी का कदीमी से है। इन भूमियों बाबत माननीय सहायक कलेक्टर महोदय सीकर के यहाँ एक वाद संख्या 29/96 बउनवानी 'पदमसिंह आदि बनाम जसवन्त सिंह आदि पेश हुआ जिसमें वादी दानाराम, वादी संख्या दो के रूप में पक्षकार संयोजित रहा है एवं उक्त वाद का बाद सुनवाई निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.1997 को वादी के पक्ष में जारी हो चुकी है। उस डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया। प्रतिवादिया संख्या दो के पति व प्रतिवादी संख्या तीन लगायत आठ के पिता की मृत्यु आज से करीब दो वर्ष पूर्व हो चुकी है अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई व इन भूमियों को अपने नाम करवा कर विक्रय करने, ऋण लेने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर अन्य किसी प्रकार से वादी के कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग में दखलं अंदाजी करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 9 का उपरोक्त वर्णित आराजियात से कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं है। वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री वर्ष 1997 में ही जारी हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित आराजियात की खातेदारी रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किया जाना आवश्यक है। जमाबन्दी में अंकित खातेदार जसवन्त सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत व श्योजीराम पुत्र जीवणराम दरोगा के खिलाफ दावा का फैसला हो चुका है। वादी के पक्ष में उक्त भूमियों का निर्णय व डिक्री होने के बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार दातारामगढ़ ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं किया एवं डिक्री की अमल नहीं हो सकी इसलिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 3 आपस में मिलकर वाद वर्णित विवादास्पद पैत्रिक सम्पदा को बिना वादी की सहमति के अन्यत्र रहन, बेचान एवं हस्तातरित कर वादी को जबरन बेदखल करने, भूमियों की सींब–नींव खुर्द–बुर्द कर मौका स्थिति या राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने में कामयाब हो गये तो इस कदर वादी को घोर असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून, द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ता 9 के मध्य आपस में अनावश्यक मुकदेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा व वादी के अत्यधिक साम्पतिक अधिकारों का हनन होगा जिसकी तलाफी किया जाना कानून में किसी भी प्रकार से सम्मय नहीं हो सकेंगी। फलस्वरूप वादी को वर्णित विवादास्पद भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को

वर्णित कृषि भूमियों को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर वादी के उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करने व बिना वादी की सहमति व स्वीकृति के मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद कारण दिनांक 02.06.2014 को प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 8 द्वारा मौके पर वादी को उसके कब्जे, काश्त की भूमी से बेदखल कर अपनी मनमर्जी से पैत्रिक भूमियों को अन्यत्र हस्तांतरित करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। उपरोक्त विवादास्पद भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या दो ता 8 के पूर्वज श्योजी पुत्र जीवण का नाम हजफ कर उक्त भूमी का वादी को एकमात्र काबिज खातेदार / काश्तकार उद्घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल–दरामद किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। खातेदार श्योजी पुत्र जीवण जाति दरोगा निवासी करड़ का देहान्त हो चुका है एवं राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तकरण नहीं भरा गया है, उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादी के कब्जे, काश्त में दखल अंदाजी कर रहे है इसलिए मृतक खातेदार के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के रूप में पक्षकार संयोजित कर दावा पेश किया गया है। अन्त मे यह इस्तदुआ चाही कि वाद वादी विरूद्ध प्रतियादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद–पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमियों खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.08 हैक्टर किता दो कुल रकबा 0.13 हैक्टर वाके तन करड़ पटवार हल्का करड़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 के पूर्वज श्योजीराम का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादी को एकमात्र काबिज खातेदार / काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जाये। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादास्पद सम्पदा की खातेदारी में विधिवत् वादी के नाम दर्ज होने तक बिना वादी की सहमति व स्वीकृति के किसी भी प्रकार से रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने, किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने, सीव–नीव तोड़–फोड़ कर मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व अन्य किसी भी प्रकार से वादी के कब्जे, काश्त व उपयोग– उपभोग में बाधा उत्पन्न कर बेदखल करने से मय अपने परिजन, नौकर, एजेन्ट व प्रतिनिधि आदि बाज रहे ।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद के समर्थन में वादी दानाराम व अन्य प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र मदनलाल, श्रवण कुमार पुत्र लालाराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी ने वादपत्र में पेश दस्तावेजों पर प्रदर्श करवाये जो निम्न है – जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 प्रदर्श–1, न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर की डिक्री प्रर्दश संख्या 2 व न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 29.01.1997 प्रर्दश संख्या 3 कायम किये गये। वादपत्र पर बहस वकील वादी सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी ने वादग्रस्त भूमियों का न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के वाद संख्या 29/1996 बउनवान पदमसिंह आदि बनाम जसवन्त सिंह आदि में निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.1997 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नही हुआ तथा वर्तमान वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 के पूर्वज श्योजीराम का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादी को एकमात्र काबिज खातेदार / काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जाने का अनुतोष चाहा है।

4. न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट सीकर के उनवान संख्या 29/96 पदमसिंह व अन्य बनाम जसवंत सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.01.1997 व तद्नुसार जारी डिक्री दिनांक 29.01.1997 के अनुसार ही वर्तमान वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 738 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.05 हैक्टर व 1594 रकबा 0.08 हैक्टर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है और तहसीलदार दांतारामगढ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

दानाराम बनाम जसवन्त सिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 125/दावा सन् 2014 निर्णय दिनांक. 27.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू गोविन्द सिंह भींचर आर.ए.एस बहाजरी श्री सत्यवीर राड़ मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यापाल मजिस्ट्रेट सीकर के उनवान संख्या 29/96 पदमसिंह व अन्य बनाम जसवंत सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.01.1997 व तदनुसार जारी डिक्री दिनांक 29.01.1997 के अनुसार ही वर्तमान वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 738 रकबा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.05 हैक्टर व 1594 रकबा 0.08 हैक्टर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.08.2024 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	–	–	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	–	–	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	–	–	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	–	–	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ